मासिक

इसलाहे समाज

जून 2018 वर्ष 29 अंक 06

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

एहसानुल् ह़क़्क़

❑	वार्षिक राशि	100 रुपये
❑	प्रति कापी	10 रुपये
❑	टोटल पेज	28

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से भारत आफसेट 2035 क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: एहसानुल् हक्क़

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	प्रदूषण से बचाव का तरीक़ा	2
2.	जीवन का उददेश्य	4
3.	शराब के दीनी और दुनियावी नुकसानात	5
4.	पति-पत्नी के अधिकार	8
5.	ऐलाने दाख़िला	11
6.	हज़रत मुहम्मद स०अ०व० के जीवन में घरेलू और समाजी मामलों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू	12
7.	इस्लाम में शर्म और हया का स्थान	15
8.	कर्म की तरफ़ दावत	16
9.	मदर्से अम्न व शान्ति के ध्वजावाहक	17
10.	हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फ़रमाया	20
11.	इस्लाम में उदारता	20
12.	मानवत अधिकार इस्लाम की शिक्षाओं की रोशनी में	22
13.	अच्छे कर्म	24
14.	प्रेस रिलीज़	27

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- www.ahlehadees.org

जीवन का उददेश्य

नौशाद अहमद

अल्लाह ने इस दुनिया में हर इन्सान को आजमाइश के लिये भेजा है, इसलिये हर इन्सान को अपने जीवन का उददेश्य मालूम होना चाहिये इन्सान की पहचान दो तरह से होती है एक पहचान यह है कि वह अपने पालनहार के बताये गये सिद्धांतों के अनुसार जीवन गुज़ारे, सफलता और असफलता का जो स्तर उसने तय किया है उसके मुताबिक अपने जीवन को गुज़ारे, अच्छे और बुरे में अन्तर करे, खरा क्या है खोटा क्या है उसकी पहचान करे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिये शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध करे, और बच्चों को भी पालनहार के सिद्धांतों से आगाह करे, समाज में रहने वाले लोगों के दुख दर्द को समझे, यही एक अच्छे इन्सान की पहचान है और यही पहचान उसे सफलता की ओर ले जाती है और सफलता ही किसी भी इन्सान का मूल लक्ष्य है। सफलता का मतलब प्रलोक की सफलता है।

दूसरी कटेगरी का इन्सान वह है जिसकी पहचान उसके गलत कर्मों से होती है यह जिन्दगी गुजारने का सहीह तरीका नहीं है समाज के लोग उसके कुकर्मों से जानते हैं, ऐसा इन्सान अपने पालनहार के सिद्धांतों पर अमल न करके अपने मन के उसूलों पर चलता है जाहिर सी बात है जो भी शख्स अपने मन की पैरवी करेगा वह सही रास्ते पर नहीं जा सकता, मन की पैरवी उसे गलत रास्ते पर डाल देती है यह अल्लाह का बताया हुआ सिद्धांत नहीं है, ऐसा इन्सान सही दिशा में न जाकर गलत दिशा में चला जाता है। और यह रास्ता असफलता का रास्ता है जो उसे नरक की तरफ ले जाता है।

मालूम हुआ कि जो इन्सान अपने पालनहार की पैरवी नहीं करेगा वह कामयाब नहीं होगा और उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। जो इन्सान गलत रास्ता पर चलता है तो वह बेचैन और दुखी होने के साथ साथ समाज के लिये भी चिंता का विषय बना रहता है इसलिये हम तमाम लोगों को सहीह रासता अपनाना चाहिये जो रास्ता इस संसार के स्वामी अल्लाह ने बताया है और उस रास्ते पर जाने से हर हाल में बचना चाहिये जिस रास्ते पर जाने से हमारे पालनहार ने हम सभी इन्सानों को सख्ती से मना किया है।

सही रास्ते पर जाने वाला स्वर्ग में जायेगा और गलत रास्ते पर जाने वाला नरक में जायेगा। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें दुनिया में सफल बनाये और आख़िरत में भी सफल बनाये और नरक के अजाब से सुरक्षित रखे।

शराब के दीनी और दुनियावी नुकसानात

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अमीर, मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द

इस्लाम ने इन्सान को पाकीज़ा जिन्दगी गुज़ारने की शिक्षा दी है और निष्ठावान समाज के गठन और निर्माण करने की प्ररेणा दी है। हलाल और हराम की तमीज सिखायी, जायज और नाजायज की सीमाएं बतायी, लाभ और हानि के अन्तर को स्पष्ट किया, खाने पीने की चीज़ों में अच्छे बुरे को अलग अलग करके दिखाया। जो इन्सान की सेहत के लिये खतरनाक है उनकी हकीकतों को उजागर किया और जिन चीज़ों के सेवन से केवल एक व्यक्ति ही तबाही के दहाने पर नहीं बल्कि पूरा समाज बर्बादी के गढ़े में चला जाता है उनको भी बयान किया। खाने पीने की किन चीज़ों का प्रभाव उसके शरीर के साथ रूह पर पड़ता है और दुनिया के साथ आख़िरत के खसारे से दोचार होना पड़ता है इसको भी इस्लाम ने बड़े एहतमाम के साथ बयान किया है। इस्लाम ने इन्सानों को दीन व दुनिया की जिन्दगी के बेहतरीन सिद्धांत दिये हैं और किसी भी मौके पर बेलगाम नहीं छोड़ा बल्कि पवित्र और प्यारी शिक्षाओं से सही रास्ता दिखाया। एक मुसलमान बल्कि एक आम इन्सान भी खाने पीने की चीज़ों के बारे में इस्लामी शिक्षाओं और निर्देशों पर अमल करेगा तो यकीनन उसकी दुनिया संवर जाये गी। इस्लाम ने बड़ी ताकीद के साथ मादक पदार्थों और शराबनोशी और उसके प्रयोग से सख्ती से मना किया है शराबनोशी और पादक पदार्थों का इस्तेमाल इन्सान के लिये दीन और दुनिया दोनों एतबार से बहुत नुकसानदेह और घातक है। इस्लाम ने पाकीज़ा समाज की जो शिक्षा पेश की है अगर उसको अमल में लाया जाये तो फिर मादक पदार्थों से समाज को पाक करना होगा। अत्याचार, बुग्ज, दुश्मनी, कत्ल व गारतगरी, लूट खिसोट, चोरी डकैती, जिनाकारी, अश्लीलता और असभ्यता का अगर खात्मा करना है तो यकीनन शराब नोशी और अन्य मादक पदार्थों से लोगों को बचाना और एलाकों को सुरक्षित करना अनिवार्य होगा शराब ही सभी फसाद की जड़ और तमाम पापों की बुनियाद है। नशा की वजह से बन्दा बहुत सी खराबियों में लिप्त हो जाता है और गलतियां करता है।

जाहिलियत के ज़माने में इस्लाम से पहले दुनिया जहां बहुत सी बुराइयों और अंधेरों में डूबी हुयी थी वहीं शराब नोशी और नशा बाजी में भी डूबी हुयी थी लेकिन इस्लाम ने अपने आगमन के साथ ही नशीले पदार्थों की निन्दा और उसकी खराबी को बयान करते हुये इससे इन्सानों को बचाया। जमान-ए-जाहिलियत में जिस अधिकता से शराब नोशी की जाती थी इसका अन्दाज़ा लगाना बहुत मुशिकल है बस यूं समझना चाहिये कि शराब उनके जीवन का हिस्सा थी वह इसके बिना नहीं रह सकते थे।

इस उम्मुल खबाइस (बुराइयों की जड़) शराब को जड़ से खत्म करने का सबसे प्रभावी उपचार एक अल्लाह पर ईमान लाने की आस्था है।

जब इस्लाम की सुनहरी शिक्षाएं आयीं और जीने के सिद्धांतों से आगाह किया गया, शराब की विभिन्न पहलुओं से निन्दा की गयी उसके नुकसानात को बयान किया गया, शराब के अपवित्र और हराम होने का हुक्म नाज़िल हुआ तो फिर ऐसी काया पलटी कि कल तक जो शराब के धुती थे उन्हीं लोगों ने अपने हाथ से शराब के जाम तोड़ दिये शराब को पानी की तरह नालियों में बहा दिया और अल्लाह के आदेश का अनुपालन करते हुये और हज़रत मुहम्मद स० की शिक्षाओं को कुबूल करते हुये दुनिया वालों के सामने एक मिसाल काइम की।

शराब शैतानी काम है। कुरआन में शराब नोशी को शैतानी काम करार दिया गया है और कहा गया है कि शैतान शराब ही के माध्यम से दुश्मनी पैदा करता है। और शराब अल्लाह की याद से गाफिल करती है।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया है और हर नशा आवर चीज़ हराम है (नेसाई ५६३३) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज़ अधिक मात्रा में नशा पैदा करे तो उसकी थोड़ी मात्रा भी हराम है (तिर्मिज़ी १७८४) इस सिलसिले में और भी हदीसें आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से रिवायत हैं जिस में आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया नशा आवर चीज़ थोड़ी हो या ज़्यादा किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल करना नाजायज़ और हराम है। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कदपि शराब न पीना इसलिये यह हर बुराई की जड़ है। (मुसनद अहमद २१५०३)

शराब नोशी के बेशुमार दीनी नुकसान हैं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दुनिया में शराब पी फिर इससे तौबा नहीं की तो आखिरत की शराब से वंचित कर दिया गया। (बुखारी ५१७२७)

फरमायाः शराब पीने का आदी जन्नत में नहीं दाखिल होगा (इब्ने माजा ३३७५) फरमायाः शराब बुराइयों की जड़ है और जिसने शराब को पिया तो अल्लाह तआला उसकी चालीस दिन की नमाज़ कुबूल नहीं फरमाता और कोई शख्स इस हाल में मर गया कि शराब उसके पेट में थी तो वह जाहिलियत की मौत मरा (दारकुतनी ४०५०)

शराब नोशी की वजह से इन्सान की अक्ल पर गफलतों के पर्दे पड़ जाते हैं, अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाती है और इन्सान न अपने हवास और अंगों पर काबू रख पाता है और न ही जुबान व जिस्म कंट्रोल में होता है, जो चाहे बकता है और जैसा चाहे करता है न जुबान पाक रहती है और न ही ख्यालात में दुरूस्तगी होती है न आदात और व्यवहार ठीक होते हैं। और न ही सोच और अमल में दुरूस्तगी होती है और शराबी रिश्तों के पवित्रता को भी भूल जाता है इसी वजह से समाज में शराब पीने वाले को सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता और कोई उससे संबन्ध रखना पसन्द नहीं करता। शराब पीने वाला न अच्छा बाप बन सकता है न अच्छा बेटा

बन सकता है न समाज का अच्छा व्यक्ति बन सकता है न अपने रब का अच्छा बन्दा बन सकता है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसी चीज़ न पियो जो तुम्हारी अकलों में बिगाड़ पैदा कर दे और तुम्हारे माल को बर्बाद कर दे। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा २३२८८)

शराबी जिस्मानी तौर पर बीमारियों में लत पत हो जाता है, शरीर के अंग सहीह से काम करना छोड़ देते हैं और एक ढांचा बन कर इबरत का सामान बन जाता है।

इसलिये जरूरत इस बात की है कि हम अपने समाज को मादक पदार्थों की लानत से पाक करें, उसके नुकसानात को लोगों में पेश करें, नौजवानों को बचायें और तबाही के दलदल में फंसने से उनको रोकें, बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, उनके संग और दोस्ती का जायज़ा लेते रहें तमाम मादक पदार्थों से सख्ती से रोकें और दीनी दुनियावी, रूहानी और जिस्मानी नुकसानात और खतरात से आगाह करते रहें।

❑❑❑

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस के ज़ेरे एहतमाम

18वाँ आल इंडिया मुसाबक़ा

हिफ्ज़ व तजवीद और तफसीर

कुरआन करीम

दिनांक 28-29 जुलाई 2018

शनिवार-रविवार स्थानः डी-254,

अहले हदीस कम्लेक्स ओखला,

नई दिल्ली-25

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2018

एक उम्मीदवार केवल एक ही

श्रेणी में भाग ले सकता है फार्म मर्कज़ी

जमीअत की वेब साइट

www.ahlehadees.org से डाउन लोड किया

जा सकता है।

अधिकृत जानकारी के लिये सम्पर्क करें।

मुसाबका हिफ्ज व तजवीद व तफसीरे कुरआन कमेटी

011-23273407 Fax 011-23246613

Email.

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

पति-पत्नी के अधिकार

डा० मुकतदा हसन अज़हरी रह०

इस्लाम ने सामाजिक व्यवस्था को अत्यधिक महत्व दिया है। उचित दिशा में यदि समाज का निर्माण न हो सके तो उसमें रहने वाले व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक सुख नहीं पा सकते। किसी समाज के उचित एवं सन्तुलित निर्माण के लिये आवश्यक है कि आपसी अधिकारों एवं कर्तव्यों का पूरा पूरा ध्यान रखें इस्लाम ने निकट सम्बन्धियों के अधिकारों की रक्षा पर बड़ा ध्यान दिया है तथा किसी भी प्रकार के अन्याय का कड़ाई के साथ विरोध किया है।

समाज में सन्तुलन तथा उसकी भलाई के लिये यह आवश्यक है कि उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों एवं हितों के साथ ही अन्य व्यक्तियों के अधिकारों तथा हितों का ध्यान रखे, तथा सदैव इस बात का प्रयास करे कि अधिकारों की प्राप्ति के साथ ही कर्तव्यों को भी निभाता रहे, वरन समाज का सन्तुलन स्थिर नहीं रह सकेगा, तथा इसके फलस्वरूप परिवार तथा उसके सभी सदस्य एक प्रकार के असन्तोष तथा मानसिक पीड़ा में ग्रस्त हो जायेंगे।

जीवन में अधिकारों तथा दायित्वों के दूरगामी प्रभाव के कारण इस्लाम ने पति-पत्नी के अधिकारों एवं दायित्वों का सविस्तार वर्णन किया है तथा दोनों से यह आपेक्षा की है कि वे अपने-अपने अधिकारों तथा दायित्वों के निर्वाह के विषय में विचार करते हुये सन्तान, समाज तथा पूरी उम्मत (इस्लाम धर्म के मानने वालों) के हितों को भी दृष्टिगत रखें। ऐसा न हो कि मनुष्य अपने अधिकारों की प्राप्ति के प्रयास में सन्तान, समाज या उम्मत के लिये क्षति का कारण बन जाये।

पत्नी के अधिकार

विवाह के उपरान्त पत्नी के निम्नलिखित अधिकार, पति पर लागू होते हैं।

१. भौतिक अधिकार

क. महर की रकम-यह स्त्री का विशेष अधिकार है। इससे यह मांग नहीं की जा सकती है कि वह महर की धनराशि से घरेलू सामग्री खरीदे, क्योंकि घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने या सजाने संवारने की जिम्मेदारी पति पर लागू होती है।

ख. आवश्यक एवं अनिवार्य व्यय-पुरूष का यह भी दायित्व हे कि वह दैनिक आवश्यकताओं के व्यय की व्यवस्था करे, क्योंकि पत्नी सन्तान की देख-रेख तथा घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती है, इस कारण वह जीविका कमाने के लिये कोई कार्य नहीं कर सकती।

पुरूष पर व्यय का बोझ तथा जिम्मेदारी उस समय तक है जब तक स्त्री अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को निभाती रहेगी। यदि वह इस सम्बन्ध में अपने

कर्तव्य का पालन न करे तो फिर उसके खाने पीने का अधिकार समाप्त हो जायेगा। परन्तु यदि वह अपनी जिम्मेदारी को पुनः निभाने लगे तो वह भरण पोषण की पात्र हो जायेगी।

२. नैतिक अधिकार

३. पतनी का एक अधिकार यह भी है कि पति उसके साथ उचित व्यवहार करे। कुरआन की एक आयत में इस प्रकार के अधिकारों को बड़े ठोस रूप से स्पष्ट किया गया है।

अनुवादः जैसे महिलाओं पर पुरूषों के अधिकार हैं वैसे ही महिलाओं के भी नियमानुसार अधिकार हैं। सूर बकरा आयत-२२८

एक हदीस में है कि पूर्ण मोमिन वह है जिसके व्यवहार अच्छे हों तथा वह अपने परिवार पर दयालु हो। (औनुल माबूद ४३१/१२)

शरीअत ने महिलाओं के साथ कठोरता या उन पर अत्याचार को कड़ाई के साथ रोका है तथा उनके साथ दया एवं नरमी के व्यवहार का आदेश दिया है।

नबी स० का कथन है कि अनुवादः महिलाओं के पक्ष में भलाई की वसीयत स्वीकार करो, वह पसली से पैदा की गई है। तथा पसलियों में सबसे ऊपर की पसली सबसे अधिक टेढ़ी है। यदि उसे सीधा करना चाहोगे तो टूट जायेगी और यदि उसे छोड़ दोगे तो सदैव टेढ़ी रहेगी, इसलिये महिलाओं के पक्ष में वसीयत स्वीकार करो। (फतहुल बारी २४३/१)

यदि किसी के पास एक से अधिक पत्नियां हों तो उनके मध्य प्रत्येक वस्तु में न्याय आवश्यक है। नबी स० का कथन है कि यदि किसी के पास दो पत्नियां हों तथा उनके बीच न्याय न करे तो कयामत (प्रलय) के दिन वह इस दशा में आयेगा कि उसका आधा शरीर झुका होगा।

अमर बिन अहवस रजि० से एक लम्बी हदीस वर्णित है कि महिलाओं के साथ अच्छे व्यवहार को आवश्यक समझो, वह तुम्हारे आधीन हैं। जब तक उनसे निर्लज्जता प्रचलित न हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम्हारा उनपर तथा उनका तुम पर अधिकार है। तुम्हारा अधिकार यह है कि वह किसी अन्य के साथ व्यभिचार न करें तथा किसी अपरिचित व्यक्ति को घर में न आने दें, तथा उनका अधिकार यह है कि तुम उन्हें अच्छा खाना खिलाओ और अच्छे वस्त्र पहनाओ। (इब्ने माजा ४१४/१)

अबू दाऊद की एक हदीस में यह भी वर्णित है कि पत्नी को चेहरे पर मत मारो, बुरा भला न कहो तथा क्रोध में उसे घर से न निकालो। औनुल माबूद १८०/६

एक अन्य हदीस में वर्णित है कि उत्तम मनुष्य वह है जिसका अपने परिवार के साथ व्यवहार अच्छा हो। (इब्ने माजा ६३६/१)

इस्लाम ने सामान्य रूप से महिलाओं के सम्बन्ध में धैर्य से काम लेने का उपदेश दिया है। इसलिए यदि उनसे कोई अप्रिय कार्य हो जाये तो पुरूष को सन्तोष तथा संयम से काम लेना चाहिये तथा उनके साथ सदव्यवहार बन्द नहीं करना चाहिये। कुरआन ने मुसलमानों को इस प्रकार सम्बोधित किया है।

अनुवादः महिलाओं के साथ

नियमानुसर निर्वाह किया करो, यदि तुम उन्हें किसी कारणवश नापसन्द करो तो भी निर्वाह करो, हो सकता है कि ईश्वर तुम्हारी अप्रिय वस्तु में तुम्हारे लिये बहुत ही अच्छाई पैदा कर दे।" (अन्निसा आयत न०-११)

ब. पति के लिये यह आवश्यक है कि वह जिस प्रकार पत्नी के खाने-पीने तथा पहनने ओढ़ने की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार उसे रिश्तेदारों एवं सगे सम्बन्धियों के यहां भी जाने दे, यदि उसके घर (मायका) कोई बीमार हो तो उसे देखने का भी अवसर दे।

स. पत्नी के अधिकारों में उनकी भावनाओं का महत्व तथा उसके सुझाव का सम्मान भी है, यदि किसी समस्या में उसके सुझाव हितकारी हों तो उसपर व्यवहार आवश्यक है। नबी स० की जीवनी में हमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं हुदैबिया के अवसर पर रसूल अकरम स० ने हज़तर उम्मे सलमा रजि० की राय के अनुसार व्यवहार किया था तो उससे मुसलमान पापों से सुरक्षित रहे।

द. नैतिक अधिकारों में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पति, पत्नी को इस्लाम की अनिवार्य बातों, आस्थाओं तथा उपासनाओं की शिक्षा दे, तथा शरीअत के आदेशानुसार व्यवहार करने का उपदेश दे। सूरः तहरीम की आयत न०-६ में अल्लाह तआला ने परिवार तथा बाल बच्चों को नरक की आग से बचाने का जो आदेश दिया है, उस पर व्यवहार की एक सूरत यह भी है।

नैतिक अधिकारों में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पति, पत्नी को इस्लाम की अनिवार्य बातों, आस्थाओं तथा उपासनाओं की शिक्षा दे, तथा शरीअत के आदेशानुसार व्यवहार करने का उपदेश दे। सूरः तहरीम की आयत न०-६ में अल्लाह तआला ने परिवार तथा बाल बच्चों को नरक की आग से बचाने का जो आदेश दिया है, उस पर व्यवहार की एक सूरत यह भी है।

य. पत्नी के सम्मान तथा मयार्दा का भी ध्यान रखना पुरूष की जिम्मेदारी है। ऐसी सभाओं तथा स्थानों से दूर रखना आवश्यक है जिससे मान सम्मान के मिटने का भय हो तथा इस्लामी नियमों, आदेशों तथा शिष्टाचारों का उल्लंघन होना निचिश्त हो। इस प्रकार स्वभाविक रूप से भी, स्त्री के लिए ऐसा वातावरण बनाना चाहिये, जिसमें उसकी धार्मिकता की भी भावना का विकास हो सके, घर में साफ सुथरा धार्मिक तथा सभ्य साहित्य रखा जाये जब तक महिला में उच्च विचारधारा तथा कार्यों में पवित्रता एवं श्रेष्ठता उत्पन्न न होगी, उस समय तक वह घर के वातावरण को साफ-सुथरा एवं शान्तिमय नहीं बना सकती, और न ही उसके गोद में पलने वाली सन्तान विचारों तथा कार्यों द्वारा आदर्श बन सकती है।

एलाने दाख़िला

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जेरे एहतमाम अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला दिल्ली में स्थापित उच्च शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्था

अलमाहदुल आली लित तखस्सुस फिद दिरासातिल इस्लामी में नये तालीमी कलैण्डर के अनुसार इस साल नये सत्र के लिये एडमीशन 24 जून से 26 जून 2018 तक लिया जायेगा। अपना अनुरोध पत्र व सनद की फोटो कापी इस पते पर भेजें।

आवेदन पत्र मिलने की आखिरी तारीख 18 जून 2018 है।

नोटः- हर क्षात्र को वज़ीफे के तौर पर हर महीने 3000/- दिया जायेगा। अधिकृत जानकारी के लिये संपर्क करें।

अहले हदीस कम्पलैक्स डी.254 अबुल फजल इन्कलेव
जामिया नगर दिल्ली-110025

फोन 011-26946205 , 011-23273407
Mob. 9213172981, 09560841844

शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

हज़रत मुहम्मद स०अ०व० के जीवन में घरेलू और समाजी मामलों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू

बसीरत फातिमा, रिसर्च स्कालर मुस्लिम यूनीवर्सिटी अलीगढ़

हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जीवन का मैदान बहुत व्यापक है जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जिसमें हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने करनी और कथनी की मिसाल न पेश की हो।

यह बात यकीनी है कि हज़रत मुहम्मद के जीवन का हर पहलू आदर्श रहा है। मानव जीवन के विभिन्न विभागों से संबन्धित उसके नमूनों को हर दौर में पेश किया जाता रहा है यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हज़रत मुहम्मद के जीवन में बड़ी व्यापकता है। हर मसले में इससे मार्ग दर्शन मिलता है इनमें से हर एक में हमारे लिये बेहतरीन नमूना है। इसकी पैरवी करने में निसन्देह हमारे लिये भलाई और कामयाबी है। यही वजह है कि कुरआन ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सीरत (जैवन शैली) को बेहतरीन आदर्श करार दिया है।

इस हकीकत की रौशनी में यह ज़रूरी था कि आपके बेहतरीन आदर्श को उजागर किया जाये और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जिन्दगी के हालात का पूरी गहराई के साथ अध्ययन किया जाये। अल्लाह का शुक्र है कि यह सिलसिला शुरू ही से जारी है और इन्शाअल्लहा भविष्य में भी जारी रहेगा।

मानव जीवन के विभिन्न भागों में समाजी एवं घरेलू जिन्दगी की बड़ी अहमियत है विशेषरूप से इस कारण कि जीवन के इस भाग का संबन्ध अधिकतर बन्दों के अधिकार से है। इस बारे में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जीवन से जो मार्गदर्शन मिलता है वह अत्यंत कीमती और कारआमद है और मौजूदा बिगड़ी हुयी सूरतेहाल के सुधार के लिये प्रभावी भी, निम्न बातों से यह बात स्पष्ट होगी।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की रसूल, कुरआन के व्याख्याकार, अध्यापक, काजी, और खानदान के प्रमुख होने की हैसियत से विभिन्न जिम्मेदारियां थीं उसे हम सब भली भांति जानते हैं। इन सब जिम्मेदारियों के बावजूद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का रोज़ाना का मामूल यह था कि आप अपनी बीवियों में से हर एक के घर जाते और उनकी आवश्यकताओं के बारे में मालूम करते, सबके खाने पीने रहने सहने और नान नफका में इन्साफ से काम लेते। घर के काम काज में उनका हाथ बटाते। अगर वक्त पर कोई काम न होता तो नाराज़ नहीं होते बल्कि नर्मी का बर्ताव करते।

एक बार एक सहाबी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम घर में होते तो क्या करते थे। जवाब में हज़रत आइशा

रजिअल्लाहो अन्हा ने फरमाया वह अपने घर में काम में लगे रहते और जब नमाज़ का वक्त आ जाता तो नमाज़ के लिये चले जाते। कहने का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके बन्दों के अधिकार का खयाल रखते थे। इसके अलावा कुछ हदीसों में यह स्पष्टता भी मिलती है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों की देख भाल स्वंय करते, बकरी का दूध दोहते, अपने कपड़ों में पेवन्द लगाते, अपने जूतों की मरम्मत करते, डोल में टांके लगाते, खुद ही बाज़ार से सौदा लाते और अगर कोई सेवक होता तो घर के काम काज में उसकी मदद करते इसी के साथ साथ नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपने परिवार वालों के लिये आख़िरत की चिंता भी रखते थे। आप उन्हें दीन की बातों से आगाह करते और आखिरत की जिन्दगी में कामयाब होने के लिये निरन्तर ध्यान देते। यह सिलसिला नबी (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) बनाये जाने से लेकर आखिरी ज़िन्दगी तक बाकी रहा।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रजिअल्लाहो तआला अन्हा को संबोधित करते हुये इन शब्दों में उन्हें बताया कि ऐ मुहम्मद की बेटी फातिमा तुम भी खुद को जहन्नम की आग से बचाओ मैं क्यामत के दिन तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। (सहीह मुस्लिम) लेकिन रिश्तेदारी के अधिकारों को अच्छी तरह से निभाऊंगा यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह इस आयत की व्यवहारिक व्याख्या थी जिसमें अल्लाह ने ईमान वालों को हिदायत दी है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है "अपने को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पतथर हैं"। (सूरे तहरीम-४)

रोजमर्रा की ज़िन्दगी में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का मामूल यह था कि हर काम अपने निर्धारित समय पर अंजाम देते और समाज के तमाम लोगों का ख्याल रखते थे। अदालत का वक्त होता तो फैसला करते, वाज नसीहत (उपदेश) देने का मौका हो तो इसमें व्यस्त हो जाते, नमाज़ का वक़्त हो जाता तो इमामत करते, आम लोगों से मिलते तो उनकी खबर गीरी करते, पड़ोसियों से मिल कर उनकी ज़रूरतें मालूम करते, यतीमों और बेवाओं की ज़रूरत पूरी करते, बीमारों का हाल चाल मालूम करते और कोई जनाज़ा होता तो उसमें शिर्क करते। हज़रत अनस बिन मालिक रजिअल्लाहो तआला अन्हो का बयान है कि ईष्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बीमारों की इयादत करते, जनाज़े के साथ जाते, कोई गुलाम सेवक दावत देता तो उसकी दावत को कुबूल करते। (शमाइले तिर्मिज़ी)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम सफर में होते तो सामूहिक कामों में सबके साथ शरीक होते। हज़रत जाबिर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम काफ़िले के साथ सफ़र करते तो उसके पीछे चलते, कमजोरों को अपनी सवारी पर बिठाते और उनके हक़ में दुआ करते (सुनन अबू दाऊद ३५४/१)

इस आदर्श व्यवहार से कितने व्यापक अन्दाज़ में सफ़र के अमीर की जिम्मेदारी के कर्तव्य स्पष्ट होते हैं और इससे यह परिणाम निकलता है कि खिदमत करवाने वाला न बनें बल्कि खिदमत करने वाला बनें और सफर के साथियों की ज़रूरियात, रोज़मर्रा की जिन्दगी में गुलामों और खादिमों,(जो समाज के कमजोर वर्ग में शुमार किये जाते हैं) के साथ बिना भेद भाव अच्छे बर्ताव पर बल देते थे। एक दफा हज़रत अबू मसऊद रजिअल्लाहो तआला अन्हो अपने गुलाम को मार रहे थे कि उन्होंने पीछे से यह आवाज़ सुनी जान लो जान लो! उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे ऐ अबू मसऊद! जितना काबू तुम्हें इस गुलाम पर है इससे ज्यादा अल्लाह को तुम पर है। हज़रत अबू मसऊद बयान करते हैं कि इस नसीहत का मुझ पर इतना असर हुआ कि मैंने फिर किसी गुलाम को नहीं मारा। (जामे तिर्मिज़ी भाग-२ पृष्ठ १६)

हकीकत यह है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जिन्दगी अल्लाह तआला के निर्देशों का प्रतव थी। सारांश यह है कि आप की जिन्दगी में घर वालों की देखभाल रिश्ता नाता जोड़ना, ज़रूरतमन्दों की ज़रूरत पूरी करना, दुखी लोगों की मदद, गरीबों और कमज़ोरों की मदद, और मेहमानों की आवभगत के अध याय में बड़े कीमती पाठ लिमते हैं। अल्लाह तआला हम सब को कुरआन की शिक्षाओं पर पूरी तरह से अमल करने और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जीवन शैली की पैरवी करने की क्षमता प्रदान करे। आमीन

❑❑❑

पाठक गण ध्यान दें

१-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। २-अगर आपको हर महीने की ५ तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सुचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। ३-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। ४-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। ५- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। ६- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। ७. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये ३ बजे से ५ बजे तक फून करें। 011-23273407

इस्लाम में शर्म और हया का स्थान

मुहम्मद फारूक सलफी बलरामपुर

इस्लाम से पहले अरब में नंगापन मौजूद था बल्कि कभी कभार बाज कबीला की औरतें अधनंगा हालत में घरों से बाहर घूमती थीं और इसे ऐब नहीं समझा जाता था यही नहीं बल्कि कभी कभार बाज कबीले की औरतें विशेष कपड़ा न मिलने की सूरत में बैतुल्लाह का तवाफ भी कर लिया करती थीं मर्द भी नंगे तवाफ किया करते थे लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने औरत को शर्म व हया का खोया हुआ लिबास दिया उसे दुनिया की सबसे कीमती पूंजी करार देकर उसकी सुरक्षा पर बल दिया। पूरे जिस्म का पर्दा करने का हुक्म दिया। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है: ''अपने घरों में ठेहरी रहो और जमान-ए-जाहिलियत की तरह बनाव सिंगार न करो''। (सूरे अहज़ाब-३३)

इस्लाम में शर्म और हया की अहमियत का अन्दाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सूरे नूर की आयत न० ३० और ३१ में अल्लाह ने मुसलमान मर्दों को अजनबी औरतों से अपनी नज़रों को झुकाने और इसी प्रकार मुसलमान औरतों को भी अजनबी मर्दों से अपनी नज़रें झुकाने का हुक्म दिया। (एक अजनबी औरत न अजनबी मर्द की तरफ देखे और न अजनबी औरत अजनबी मर्द की तरफ देखे) शर्म और हयादारी इस्लाम की पहचान है। एक मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत वह अत्यंत गैरतमन्द, बुराइयों और बुरी आदतों से दूर रहने वाला और हकदार का हक अदा करने वाला होता है। बुखारी की एक रिवायत में है कि हज़रत मुहम्मद स०अ०व० पर्दे में रहने वाली कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा हयादार थे जब आप किसी अप्रिय चीज़ को देखते थे तो उसके आसार आपके चेहरे पर जाहिर हो जाते थे। हया की अहमियत ही की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को हुक्म दिया था कि अल्लाह से हया करो जैसा कि उससे हया करने का हक़ है। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजिअल्लाहो तआला अन्हो के बारे में आता है कि एक बार उन्होंने खुतबा देने के दौरान कहा था ऐ मुसलमानों की जमाअत अल्लाह से शर्म करो, कसम है उस अल्लाह की जिसके कबज़े में मेरी जान है, जब मैं शौच के लिये जाता हूं तो अपने रब से शर्म करता हूं। और अपने आपको छिपाता हूं। हज़रत उस्मान रजिअल्लाहो तआला अन्हो के बारे में तो मश्हूर है वह बहुत ज़्यादा शर्मीले थे इन्हीं के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्या मैं उस आदमी से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। (सहीह मुस्लिम) शर्म और हया के संबन्ध में जब हम सहाबियात रजिअल्लाहो अन्हुम की सीरत का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वह इतनी हयादार थीं कि कदमों का नंगा होना भी उनके लिये सहनीय न था लेकिन अफसोस आज कल कदम को ढांकना तो दूर की बात पूरी पिंडली खुली हो सर नंगा हो, दुपटट्ा न हो तो इसे बेहयाई नहीं समझा जाता है बल्कि फैशन और माडर्नइज्म माना जाता है।

(लेख का आंशिक भाग)

❑❑❑

कर्म की तरफ दावत

अबू हमदान अशरफ फैज़ी

हर इन्सान को गौर करना चाहिये कि दुनिया में उसके वजूद का मकसद क्या है दुनिया की जिन्दगी चन्द दिन की है आखिरत की जिन्दगी ही असल जिन्दगी है यह संसार कर्म स्थल है और आखिरत बदला पाने का घर है, मौत बरहक है, क्यामत बरहक है, जन्नत जहन्नम बरहक है, हमें सब पर पूरा यकीन होना चाहिये और अल्लाह की तरफ से दिये गये इन कीमती समय से फायदा उठाना चाहिये और आखिरत के लिये सत्कर्म जमा करना चाहिये और हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिये। क्योंकि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा बन्दों के लिये खुला हुआ है शर्त यह है कि बन्दा अल्लाह की सच्चे दिल से उसकी इबादत करे अल्लाह तआला कुरआन में फरमाता है ''और अपने रब की बखशिश की तरफ और उसकी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज आस्मानों और जमीन के बराबर है जो परहेज़गारों के लिये तैयार की गयी है''। (सूरे आले इमरान-१३३)

हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिये। क्योंकि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा बन्दों के लिये खुला हुआ है शर्त यह है कि बन्दा अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से उसकी इबादत करे अल्लाह तआला कुरआन में फरमाता है ''और अपने रब की बखशिश की तरफ और उसकी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज आस्मानों और जमीन के बराबर है जो परहेज़गारों के लिये तैयार की गयी है''। (सूरे आले इमरान-१३३)

हदीस कुदसी में है कि अनस रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी स०व०स० अपने रब से रिवायत करते हैं कि अल्लाह तआला फरमाता है कि जब बन्दा मेरी तरफ एक बालिश्त करीब होता है तो मैं उसकी तरफ एक जिराअ (एक हाथ, एक बाजू) करीब हो जाता हूं और जब वह मेरी तरफ एक हाथ, करीब होता है तो मैं उसकी तरफ दो हाथ करीब हो जाता हूं और जब वह मेरी तरफ चलता हुआ आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता हूं। इसी प्रकार सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया दो नेमतें हैं अधितर लोग उनके गलत इस्तेमाल की वजह से खसारे और घाटे में रहेंगे। सेहत और वक़्त, इसलिये हमें चाहिये कि हम अपने आपको को नेक कामों में व्यस्त रखें।

मदर्से अम्न व शान्ति के ध्वजावाहक

शिहाबुद्दीन मदनी

इस्लाम एक ज्ञानात्मक धर्म है और उम्मते मुहम्मदिया की शुरूआत ही शिक्षा से हुयी है। गारे हिरा में अल्लाह की तरफ से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर जो पहली वह्य अवतरित हुयी उसमें सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''पढ़िये अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया जिसने इन्सान को खून के लोथड़े से पैदा किया, आप पढ़ते रहिये आप का रब बड़ा करम वाला है, जिसने कलम के जरिये ज्ञान सिखाया, जिसने इन्सान को वह सिखाया जिसे वह नहीं जानता था''। (सूरे अलक़-१-५)

कुरआन की इस आयत से यह स्पष्ट हुआ कि इस्लाम का ज्ञान के साथ बड़ा गहरा संबन्ध है। इस्लाम और ज्ञान प्रतिपूरक (लाजिम मलजूम) है इसलिये कि इस्लाम समाज में फैले हुये बिगाड़ फसाद, आपसी दुश्मनी चारितत्रिक एवं सांसकृतिक अनारकी के अंधेरों में डूबी हुयी मानवता को अपने दया करूणा, प्यार मुहब्बत और एकता की लड़ी में पिरोना चाहता है और यह उस वक्त संभव हो गा जब हृदय और दृष्टि की दुनिया में पनप रहे अंधेरों का अंत हो जाये और हकीकत यह है कि दिल के अंधेरे उसी वक्त ख़त्म हो सकते हैं जब उसे ज्ञान की रोशनी से सुसज्जित कर दिया जाये और उसमें शिक्षा के द्वारा परिवर्तन पैदा कर दिया जाये इसी लिये इस्लाम ने शुरू ही से पठन पाठन पर जोर दिया है और मानवता के अध्यापक सत्य के मार्गदर्शक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मक़सद ही किताब व हिकमत की शिक्षा, हृदय एवं दृष्टि की पवितत्रता और दिमाग को हर प्रकार के विकार से पाक साफ करना है।

इन मदर्सों में वही शिक्षा दी जाती है जो हज़रत मुहम्मद ने अपने मदर्से में अपने शिष्यों (सहाबा किराम) को दिया था यहां पर पूरी सृष्टि पर दया और मानवता करने का पाठ दिया जाता है और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इस कथन से मदर्सों की फिज़ा गूंजती रहती है। ''जो लोगों पर दया नहीं करता अल्लाह उस पर भी दया नहीं करता'' (बुखारी ३६० मुस्लिम २३१७)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम धरती वालों पर दया करो आसमान वाला तुम पर दया करेगा''। कवि कहता है

करो मेहरबानी तुम अहले जमीं पर

खुदा मेहरबां होगा अर्शे बरीं पर

इन्सान तो इन्सान इन मदर्सों

में जानवरों पर भी दया करने की शिक्षा दी जाती है, उनके साथ अच्छे व्यवहार पर स्वर्ग की शुभसूचना और उनके साथ बुरा व्यवहार करने पर नरक की सज़ा सुनाई जाती है। सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''एक कुत्ता कुवें का चक्कर लगा रहा था लग रहा था कि अभी प्यास से मर जायेगा अचानक बनी इसराईल की एक बदकार औरतों में से एक औरत ने इस कुत्ते को देख लिया, उस औरत ने अपना मोज़ा उतारा और इसमें पानी भर कर कुत्ते को पिला दिया औरत के इस कर्म की वजह से उसका क्षमादान हो गया''।

दूसरी हदीस में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''एक औरत को एक बिल्ली के सबब अज़ाब दिया गया उसने उसे कैद कर रखा था यहां तक कि वह मर गयी, वह औरत इस कारण नरक में दाखिल कर दी गयी, कैद के दौरान इस औरत ने बिल्ली को न कुछ खिलाया और न ही उसे छोड़ा ताकि वह खुद जा कर जमीन के कीड़े मकूड़े खा सके''। (सहीह बुखारी, किताबुल अंबिया)

समाज को चारितत्रिक पतन, अत्याचार और नसली भेदभाव से पाक व साफ रखने के लिये मदर्सों में क्षात्रों को कुरआन और हदीस की शिक्षाओं से सुसज्जित किया जाता है ताकि यह क्षात्र मदर्सों से जाने के बाद दुनिया को अम्न व शान्ति का सन्देश दें और स्वच्छ समाज के निमार्ण एवं गठन में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकें। मदर्सों के इन क्षात्रों को बताया जाता है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''तुम में सबसे बेहतर वह है जिसका चरित्र सबसे अच्छा हो''। (बुखारी, मुस्लिम)

समाज को चारितत्रिक पतन, अत्याचार और नसली भेदभाव से पाक व साफ रखने के लिये मदर्सों में क्षात्रों को कुरआन और हदीस की शिक्षाओं से सुसज्जित किया जाता है ताकि यह क्षात्र मदर्सों से जाने के बाद दुनिया को अम्न व शान्ति का सन्देश दें और स्वच्छ समाज के निमार्ण एवं गठन में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकें। मदर्सों के इन क्षात्रों को बताया जाता है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''तुम में सबसे बेहतर वह है जिसका चरित्र सबसे अच्छा हो''। (बुखारी, मुस्लिम)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम न अश्लीलता की बात करते थे न लान तान करने वाले थे और न ही गाली गुलूज करने वाले, हज़रत मुहम्मद गुस्से के वक्त केवल इतना कहते उसे क्या हो गया है, उसकी पेशानी खाक आलूद (धूल धूसरित) हो।

एक दूसरे के अधिकारों की पासदारी और बड़ों को अदब और सम्मान और छोटों पर दया का पाठ भी मदर्सों में मिलता है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि

वसल्लम ने फरमायाः जो हमारे छोटों पर दया न करे और हमारे बड़ों के सम्मान को न पहचाने उसका संबन्ध हम से नहीं (अबू दाऊद ४६४३ तिर्मिज़ी १६२१)

यह फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी

सिखाये किसने इसमाईल को आदाबे फरज़न्दी

पड़ोसियों के साथ चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम अच्छा व्यवहार करने का पाठ भी इनही मदर्सों में दिया जाता है और किसी के साथ गलत व्यवहार करने पर चेतावनी भी सुनायी जाती है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम बराबर मुझे पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की वसिय्यत करते रहते यहां तक कि मैंने गुमान कर लिया कि वह पड़ोसियों को वारिस बना देंगे। (सहीह बुखारी किताबुल अदब, बाबुल वसाया बिल जार)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके अत्याचार से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो''।

नाहक किसी को कत्ल करने और किसी का अधिकार छीनने से भी रोका और मना किया जाता है। कुरआन में अल्लाह तआला कहता है।

''और किसी जान को जिसे अल्लाह ने सम्माननीय ठहराया है हलाक न करो मगर हक के साथ, यह वह बातें हैं जिनकी हिदायत उसने तुम्हें दी है शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो''। (सूरे अंआम)

कुरआन मजीद की इस आयत से तमाम इन्सानों का नाहक कत्ल करना हराम हो गया चाहे उनका संबन्ध किसी भी क्षेत्र, किसी भी कबीले किसी भी नस्ल किसी भी खानदान या किसी धर्म से हो, इसी बात की शिक्षा हमारे मदर्से दे रहे हैं। मदर्से वही पाठ देते हैं जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जंग की हालत में भी सहाबा किराम को देते थे और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुये हज़रत अबू बक्र सिद्दीक अपने सेना पतियों को इस प्रकार नसीहत करते थे।

१. ख्यानत न करना

२. वचन मत तोड़ना, और किसी को धोका न देना।

३. किसी बच्चे बूढ़े या औरत को कत्ल न करना।

४. खुजूर का पेड़ न काटना

५. किसी का हाथ कान नाक न काटना

६. किसी फलदार पेड़ को मत काटना

७. जो लोग अपने पूजा स्थलों में इबादत कर रहे हों, उनको उनके हाल पर छोड़ देना।

किसी का माल हड़पने उसकी जमीन जायदाद दबा लेने से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मना किया और सख्त सज़ा की चेतावनी दी। फरमायाः जिसने किसी शख्स की जमीन एक बालिश्त भी नाहक तौर पर दबा ली तो क्यामत के दिन उसे सात जमीनों का तौक पहनाया जायेगा। यह और इस प्रकार की चारितत्रिक समाजी शिक्षाओं के द्वारा मदर्सो देश के वातावरण को खुशगवार बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं।

हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया

हज़रत मुआज़ बिन जबल रजिअल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि मुझ से रसूल स०अ०व० ने फरमाया जिस शख्स का आखिरी कलाम ''लाइलाहा इल्लल्लाह'' हो वह जन्नत में जायेगा। (अबू दाऊद ३११६)

❑ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिअल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूल स०अ०व० को फरमाते हुए सुना कि जिस किसी मुसलमान के मरने पर चालीस ऐसे आदमी जनाज़े की नमाज़ पढ़ा दें जो अल्लाह के साथ शिर्क न करते हों तो अल्लाह तआला उनकी सिफारिश उसके हक़ में कुबूल करता है। (मुस्लिम-९४८)

❑ अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल स०अ०व० ने फरमाया जो शख्स किसी के जनाज़े में नमाज़ की अदायगी तक शामिल रहे तो उसे एक कीरात के बराबर सवाब मिलेगा। पूछा गया कि कीरात का क्या अर्थ है तो आप ने फरमायाः दो बड़े पहाड़ अर्थात नमाज़े जनाज़ा और तदफीन तक साथ रहने वाला दो बड़े पहाड़ों के बराबर सवाब लेकर वापस लौटेगा। (सहीहुल बुखारी १३२५, सहीह मुस्लिम ९४५)

❑ हज़रत अनस रजिअल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि आपने फरमाया क्यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जायेगा, जाहिलियत बढ़ जायेगी और शराब पिया जायेगा ज़िना (व्याभिचार) आम हो जायेगा। (बुखारी-मुस्लिम)

हज़रत आइशा रजिअल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल स०अ०व० ने महल्लों में मस्जिदें बनाने उन्हें पाक साफ और खुश्बूदार रखने का हुक्म दिया है। (अबू दाऊद)

❑ जिसने अल्लाह की खुशी के लिये मस्जिद बनायी तो अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में वैसा ही घर बनायेगा। (बुखारी-४५०)

❑ मुहम्मद स० ने फरमायाः जब तुम्हारा गुज़र जन्नत के बागों में से हो उसके फल खाओ। हज़रत अबू हुरैरा रजिअल्लाहो अन्हो ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! जन्नत के बाग कौन से हैं? तो मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया कि मस्जिदें हैं।

❑ मुहम्मद स०अ०व० ने फरमायाः मोमिन की मौत के बाद उसके कर्म और अच्छे कामों से जिसका उसे सवाब मिलता है वह सात हैं। इल्म जो उसने दूसरों को सिखाया और फैलाया २. नेक लड़का ३. कुरआन मजीद, जिसका किसी को इल्मी वारिस बनाया। ४. मस्जिद जिसने बनवायी ५. घर जो मुसाफिरों के लिये बनवाया। ६. नहर ७. सदक़ा जो अपनी जिन्दगी में स्वस्थ होने की हालत में दिया। इन सात कामों का सवाब मौत के बाद भी इन्सान को मिलता रहता है।

नबी स०अ०व० ने फरमाया कि जब कब्र में सवाल होता है तो काफिर या मुनाफिक यह जवाब देता है हाय हाय मुझे मालूम नहीं

मैंने लोगों को एक बात करते हुये सुना तो मैं भी इसी तरह कहता रहा इसके बाद उसे लोहे से मारा जाता है कि वह चीख उठता है उसकी चीख पुकार को इन्सान और जिन्नातों के अलावा हर चीज़ सुनती है अगर इन्सान इस आवाज़ को सुन ले तो बेहोश हो जायेगा।(बुखारी १३८०.१३३८)

❑ अल्लाह के रसूल स०अ०व० ने फरमायाः जुल्म और ज्यादती और रिश्ता नाता तोड़ना यह दोनों ऐसे जुर्म हैं कि अल्लाह तआला आखिरत की सजा के साथ दुनिया ही में इसकी सजा दे देता है। (तिर्मिज़ी २५११, अबू दाऊद ४९०२)

❑ अल्लाह के रसूल स०अ०व० ने फरमाया रिश्ता नाता अर्श से लटका हुआ है और कहता है, जो मुझे मिलाये, अल्लाह उसे अपने साथ मिलाये और मुझे तोड़े अल्लाह उसे अपने से तोड़े। (मुस्लिम २५५५)

❑ अल्लाह के नबी स०अ०व० ने फरमायाः किसी मिस्कीन पर सदक़ा करना केवल सदका है और अगर यही सदका किसी गरीब रिश्तेदार पर किया जाये तो इसकी हैसियत दो गुना हो जाती है एक सदके का सवाब और दूसरे रिश्तेनातेदारी जोड़ने का सवाब। (तिर्मिज़ी ६५८)

❑ अल्लाह के नबी स०अ०व० ने फरमायाः जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे रिश्ता नाता जोड़े रहना चाहिये।

❑ अल्लाह के नबी स०अ०व० ने फरमायाः रिश्ता नाता जोड़ने से खानदान में मुहब्बत बढ़ती है माल में बढ़ोतरी होती है और उमर में बरकत होती है। (तिर्मिज़ी)

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के चार आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

अल इस्तक़ामा मासिक (अर्बी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

इस्लाम में उदारता

शफीक अहमद नदवी

किसी व्यक्ति, कौम, किसी नस्ल और समुदाय के धार्मिक रूसूम, पूजा, आस्था और सांस्कृतिक मामलात को उनके लिये दुरूस्त समझना और उनपर अमल करने की राह में हस्तक्षेप, पाबन्दी और अंकुश न लगाना अगर्चे वह अपने आस्था और धर्म के खिलाफ हो उदारता कहलाता है। उनको अपने मामलों से फेरने या रोकने के लिये जबरदस्ती न किया जाये बल्कि उदारता का प्रदर्शन करना चाहिये। इस्लाम ने यह पारदर्शी शिक्षा दी है क्योंकि इस्लाम एक सकारात्मक धर्म है उसकी शिक्षाएं अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। इस्लाम पक्षपात, तंगनजरी, नफरत, दुश्मनी, अत्याचार और जबरदस्ती की इजाजत नहीं देता बल्कि इन्साफ, बराबरी, कर्म एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी दीन और आस्था की आजादी का ध्वजा वाहक रहा है क्योंकि धर्म एवं आस्था विश्वास का नाम है जो ताकत के बल पर पैदा नहीं किया जा सकता। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं, हिदायत गुमराही से रोशन हो चुकी है''। (सूरे बकरा २५६)

कुरआन में उदारता और इन्सानदोस्ती की जो शिक्षा दी गयी है उन पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। कुरआन के सूरे आल इमरान आयत १५९ में है कि ऐ मुहम्मद अल्लाह की मेहरबानी से तुम उनके लिये नर्म हो, अगर तुम दुराचार सख्त दिल होते तो यह लोग जो तुम्हारे पास जमा होते हैं तुम्हारे आस पास से हट जाते।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शिक्षा है कि एक दूसरे से रिश्ता-नाता न तोड़ो, एक दूसरे से मुंह न फेरो, एक दूसरे से हसद न रखो और अल्लाह के बन्दों भाई भाई बन जाओ।

एक अवसर पर पहले खलीफ़ा हज़रत अबू बक्र रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने सेनापति को दस वसियत की। किसी औरत बच्चे, और बूढ़े को कत्ल मत करना, फलदार पेड़ मत हटाना, किसी आबाद जगह को न काटना, खजूर के पेड़ों को मत जलाना, माले गनीमत में गबन (घोटाला) न करना और कायर न हो जाना।

आपके दौर खिलाफ़त में गैर मुस्लिम आबादियों के अधिकार को दिया गया। हीरा के ईसाइयों से मुआहिदा किया कि उनकी ख़ानकाह और गिरजे न ढ़ाये जायें और उनका वह महल भी न गिराया जाये जिसमें वह दुश्मनों के मुकाबला में किलाबन्द होते हैं उनको नाकूस और घण्टा बजाने पर कोई रोक टोक और पाबन्दी नहीं होगी। त्यौहार के अवसर सलीब निकालने से उन्हें रोका

नहीं जायेगा।

बैतुल मकदिस फतह होने के बाद दूसरे खलीफ़ा हज़रत उमर फारूक रजिअल्लाहो तआला अन्हो की मौजूदगी में जब मुआहिदा हुआ तो उस मुआहिदा (संधि) में लिखा गया कि यह वह अमान है जो अल्लाह के गुलाम अमीरूल मोमिनीन ने लोगों को दिया है। यह अमान उनकी जगह, माल गिरजा, सलीब, तन्दुरूस्त बीमार और उनके तमाम धर्म वालों के लिये है उनके गिरजाओं में न सुकूनत की जायेगी, न उनको ढ़ाया जायेगा न उनको न उनके परिसर को नुकसान पहुंचाया जायेगा न उनके सलीबों और माल में कुछ कमी की जायेगी धर्म के मामले में उन पर जोर जबरदस्ती नहीं की जायेगी।

तीसरे खलीफ़ा हज़रत उसमान रजिअल्लाहो अन्हो के ज़माने में नजरान के ईसाइयों ने उनके पास आ कर अपने साथ हुयी ज्यादती की शिकायत की। उस वक्त नजरान के शासक वलीद इब्ने उतबा थे। हज़रत उसमान ने तुरन्त लिखा कि मुझे मालूम हुआ है कि नजरान के वासियों को क्या नुकसान पहुंचे हैं मैं ने प्रभावितों के जिज़्ये में तीस जोड़ों की कमी कर दी है उन्हें अल्लाह की राह में दे दिया है और मैंने उनको वह सभी जमीन दे दी है जो हज़रत उमर रजिअल्लाहो अन्हो ने उनको यमन की जमीन के बदले सदका किया था। अब तुम नजरान के इन ईसाइयों के साथ भलाई करो। हज़रत उमर ने उनके लिये जो संधि लिखा था उसको गौर से देख लो और उसमें जो कुछ लिखा है उसको पूरा करो।

चौथे खलीफ़ा हज़रत अली रजिअल्लाहो तआला अन्हो की उदारता की मिसाल भी उल्लेखनीय है जब उनका कातिल इब्ने मुलजिम उनके बिस्तर मर्ग पर लाया गया तो अपने कातिल इब्ने मुलजिम को देख कर कहा कि इसको अच्छा खाना खिलाओ इसको नरम बिस्तर पर सुलाओ और मैं जिन्दा बच गया तो इसको मआफ करने या बदला लेने का अधिकार मुझे हासिल होगा और अगर मैं मर गया तो अल्लाह के सामने इससे झगडूं गा फिर यह भी वसीयत की कि इससे मामूली बदला लिया जाये अर्थात इसके हाथ पांव न काटे जायें।

(आज दुनिया में सजा देने और सताने का जो तरीका प्रचलित है वह गैर इन्सानी होने के साथ साथ अत्यंत भयावह है। इस मामले में इस्लाम का इतिहास अत्यंत शानदार और उज्जवल रहा है। इस्लामी शासकों ने कभी भी अपने विरोधियों के साथ गैर इन्सानी और क्रुरता का व्यवहार नहीं किया जैसा कि कुछ वाक्आत को इस लेख में बयान किया गया है।

इस्लाम में उदारता पर आध ाारित एक ऐसी व्यापक किताब ज़रूर प्रकाशित होनी चाहिये जो लोगों को सहीह दिशा दिखा सके। खास कर हिन्दी और इंगलिश में ज़रूर प्रकाशित होनी चाहिये ताकि लोगों को यह पता चल सके कि इस्लाम ने उदारता की कितनी महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित की है। सम्पादक)

मानव अधिकार इस्लाम की शिक्षाओं की रोशनी में

डा० मुहम्मद तैयब शम्स (दूसरी किस्त)

इस्लाम में पड़ोसी के अधिकार का भी बहुत ख्याल रखा गया है कि पड़ोसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख न पहुंचे। अगर पड़ोसी गरीब और परेशान है तो उसकी मदद करनी चाहिये और उससे अच्छी तरह से पेश आना चाहिये छोटे मोटे सामान देने से इन्कार नहीं करना चाहिये। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठेहराओ और मां बाप के साथ भलाई करो और रिश्तेदारों से और यतीमों और मुहताजों और नजदीकी पड़ोसी और अजनबी पड़ोसी और हम मज्लिस और राह के मुसाफिर से और उनसे जिनके तुम मालिक हो चुके हो (गुलाम, कनीज़) उनसे भलाई किया करो, बेशक अल्लाह उस शख्स को पसन्द नहीं करता जो तकब्बुर (घमण्ड) करने वाला फख्र करने वाला हो''। (सूरे निसा-३६)

हज़रत अबू हुरैरह रजिअल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर यकीन रखता है वह अपने पड़ोसी को दुख न पहुंचाये जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर विश्वास रखता है उसे चाहिये कि वह मेहमानों की इज्ज़त करे और जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर यकीन रखता है उसे चाहिये कि वह भलाई की बात करे वर्ना खामूश रहे। (बुखारी मुस्लिम)

इस्लाम में अनाथों के अधिकार का भी बेहद ख्याल रखा गया है, यतीमों (अनाथों) की देख भाल उनकी सुरक्षा भलाई का काम है, यतीमों से हमेशा प्यार व मुहब्बत से पेश आना चाहिये। कुरआन में अल्लाह तआला ने यतीमों के अधिकार के सिलसिले में जिम्मेदार रहने का उपदेश दिया है और अपने माल से कुछ हिस्सा देने का हुक्म दिया है।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

''और यतीमों को उनके बालिग हो जाने तक सुधारते और आज़माते रहो फिर अगर उनमें तुम होशियारी और हुस्ने तदबीर पाओ तो उन्हें उनके माल सौंप दो और उनके बड़े हो जाने के डर से उनके मालों को जल्दी जल्दी फुजूल खर्चियों में तबाह न करो''। (सूरे निसा-६)

सहल बिन सअ्द रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और यतीम

की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे और आपने अपनी शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली के दर्मियान कुशादगी की। (सहीह बुखारी)

इस्लाम से पहले अरब वासी नरीना औलाद से अत्यंत प्रेम और प्यार करते थे और लड़कियों को जीवित दफन कर दिया करते थे इस्लाम धर्म ने इन जाहिलाना रस्म व रिवाज का खात्मा किया बल्कि औलाद चाहे बेटा हो या बेटी पालन पोषण करने, शिक्षा देने और उनकी शादी कराने का हुक्म दिया और उनके अधिकार भी बताये। कुरआन में औलाद के अधिकार को इस प्रकार बयान किया गया है।

''माएं अपनी औलादों को दो साल कामिल दूध पिलायें जिसका इरादा दूध पिलाने की मुददत बिल्कुल पूरी करने का हो और जिनके बच्चे हैं उनके जिम्मे उनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक़े दस्तूर के हो। हर शख्स को उतनी ही तकलीफ़ दिया जाता है जितनी उसकी ताक़त हो मां को इसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई जरर न पहुंचाया जाये। वारिस पर भी इस जैसी जिम्मेदारी है फिर अगर दोनों मां बाप अपनी रिजामन्दी और आपसी मश्वरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि तुम उनको दस्तूर के मुताबिक जो देना हो वह वह उनके हवाले कर दो। अल्लाह से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह तआला आमाल की देख भाल कर रहे हैं। (सूरे २३३)

हज़रत अबू मसऊद बदरी रजिअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''जब आदमी अपने परिवार पर सवाब की नियत से खर्च करता है तो वह उसके लिये सदका (नेकी) शुमार होता है''। (बुखारी मुस्लिम)

इस्लाम में हर मजदूर और मेहनत करने वाले को अपनी मेहनत का उचित अधिकार प्राप्त है लेकिन साथ में यह भी ताकीद की गयी है वह ईमानदारी से काम करे, काम से जी न चुराये चोरी न करे, मालिक के माल को बर्बाद होने से बचाये इनके साथ साथ मालिक की जिम्मेदारी है कि वह किसी मजदूर से उसकी पगार के मुताबिक ही काम ले और मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे अर्थात पगार देने में जल्दी करे वादे के अनुसार उसकी मजदूरी में कमी न करे। कुरआन में अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह न्याय और भलाई का हुक्म देता है (सूरे नह्ल-९)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मजदूर को मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। (इब्ने माजा)

नोटः इस लेख की पहली किस्त फरवरी २०१८ के अंक में प्रकाशित हो चुकी है।

अच्छे कर्म

नौशाद अहमद

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़ते हुये तीन बार आमीन, आमीन, आमीन कहा। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि ऐ अल्लाह के सन्देष्टा आप ने मिंबर पर चढ़ते हुये तीन बार आमीन क्यों कहा? हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया जो शख्स रमज़ान के महीने को पाये फिर भी उसकी मगफिरत न हो जाये और परिणाम के तौर पर आग में दाखिल हो जाये, ऐसे शख्स को अल्लाह हलाक करे। फिर जिब्रईल ने मुझसे कहा आमीन कहिये तो मैंने आमीन कहा ऐ अल्लाह जिब्रईल की यह बददुआ कुबूल कर ले (सहीह इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हिब्बान बहवाला सहीहुत्तर्गीब हदीस न० १५७६)

इस हदीस में रोज़ों की फजीलत को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रोज़ा कितनी महान इबादत है। इन्सान की असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है दुनिया की कामयाबी एक वक्ती चीज़ है। वहां पर इंसान को उसके कर्मों की बुनियाद पर पर्खा जायेगा जिसके आमाल अच्छे होंगे वह उस दिन अल्लाह का प्रिय बन्दा हो गा उस दिन ऐसे बन्दों को उसका कर्म पत्र उसके दायें हाथ में दिया जायेगा यह कामयाबी का पैमाना होगा जिसका मतलब यह होगा कि वह जन्नत का हकदार हो गया, यह इन्सान का शाश्वत जीवन है जहां से पलट कर दुबारा वापस नहीं आना है।

इसके विपरीत जिसके कर्म अच्छे नहीं होंगे उसके कर्मपत्र को उसके बायें हाथ में दिया जायेगा यह नाकामी का प्रतीक है। इसका मतलब हुआ कि इन्सान को दुनिया में जो मोहलत दी गयी उसको उसने बेकार कामों में खर्च कर दिया जबकि अल्लाह ने इन्सान को दुनिया में इसलिये भेजा कि वह दुनिया में मेरे बताये गये तरीके के अनुसार इबादत करे। यह दुनिया इन्सान के लिये एक परीक्षा स्थल है यहां पर जो इस्लाम के बताये गये तरीके के मुताबिक जीवन गुज़ारेगा वही आख़िरत में कामयाब होगा।

उपर्युक्त हदीस में रोज़ा की मिसाल को पेश किया गया है कि इन्सान को एक महीना रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है अगर कोई अल्लाह के इस हुक्म को मानेगा तो वह अपने रब का प्रिय बन्दा होगा वर्ना अंजाम इन्सान के अपने हाथ में है। अल्लाह हम सभी लोगों को कुरआन और हदीस के बताऐ गये सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को सफल बनाने की क्षमता दे और रमज़ान के महीने में इबादत में जो कोताही और कमी हुयी है अल्लाह उसको दूर करे और नेक आमाल को कुबूल करके अपना महबूब बन्दा बनाये और यह संकल्प कर लें कि हम लोग हर साल फर्ज रोज़ा रखने की पाबन्दी करेंगे।